

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1

लखनऊ - दिनांक - 25 मार्च, 2018

विषय - प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेण्ट लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-6/2018/ए-1-222/दस-2018-10(28)/2011, दिनांक 07 मार्च, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेण्ट प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप माह मार्च, 2018 में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में बिलों को प्राप्त कराने एवं कोषागार स्तर पर उनके परीक्षण एवं पारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2- इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अन्तिम वित्तीय माह में अधिक कार्य होने के कारण कतिपय विभागों द्वारा आवश्यक भुगतानों से सम्बन्धित देयक दिनांक 25 मार्च, 2018 तक कोषागारों में प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं और शासनादेश दिनांक 07 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2 के क्रम में प्रदेश के कई कोषागारों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 दिनांक 25 मार्च, 2018 के पश्चात् देयक पारण के लिए स्वीकार नहीं किए जाने की सम्भावना है।

3- शासन स्तर पर उक्त के सम्बन्ध में हुये विचार-विमर्श एवं विभागों को होने वाली कठिनाइयों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त बिल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

विलम्बतम् दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें। कोषागार उक्त तिथि तक प्राप्त बिलों के सापेक्ष उनकी जाँच कर आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अविलम्ब टोकन नम्बर जारी करेंगे एवं आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा ई-पेमेण्ट के लिये ट्रान्जेक्शन फाइल को दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अपलोड एवं अप्रूव करने की कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जाये, जिससे कि कोषागारों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 तक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर बिलों की जाँच कर ई-पेमेण्ट के द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,
संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव।

संख्या-9/2018/ए-1-296(1)/दस-2018-10(28)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4- निदेशक, कोषागार, 30प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से कि समस्त कोषागारों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 5- उपमहाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गाँधी मार्ग, कानपुर-208001
- 6- सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ-226001.
- 7- क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, क्षेत्र महाप्रबन्धक सचिवालय, नया भवन प्रथम तल, हजरतगंज, लखनऊ-226001.
- 8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।